[2011]1 एस.सी.आर. 687

झारखंड राज्य एवं अन्य।

बनाम

पाकुड़ जागरण मंच एवं अन्य

(2011 की सिविल अपील संख्या 436)

12 जनवरी 2011

[आर.वी. रवीन्द्रन और एच.एल. गोखले, जे.जे.]

संथाल परगना बंदोबस्त विनियम, 1872 विनियम 24 और 25 - गोचर (ग्राम चरागाह भूमि) को आरक्षित या गैर-अधिसूचित करें - राज्य सरकार की शक्ति - अधिकारों का अभिलेख जिसके तहत कुछ भूमि गोचर, ग्राम चरागाह के रूप में दर्ज की जाती है भूमि - अस्पताल के निर्माण के लिए उपयुक्त के रूप में उक्त भूमि की पहचान - राज्य सरकार द्वारा गोचर भूमि को गैर-अधिसूचित और मुक्त करने की अधिसूचना और इसके स्थान पर गैरमजरूआ (सरकारी) खास भूमि को गोचर घोषित करना - उक्त भूमि पर अस्पताल के निर्माण पर रोक लगाने की मांग वाली रिट याचिका गोचर, उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति - अपील पर अभिनिर्धारित: विनियमों के तहत किसी बन्दोब्स्त के अनुसरण में किसी गांव के अधिकारों के अभिलेख में गोचर के रूप में दर्ज भूमि को, राज्य सरकार की पिछली मंजूरी के साथ, अगले की प्रतीक्षा किए बिना, किसी भी समय फिर से खोला और बदला जा सकता है। - तथ्यों पर, गोचर के रूप में दर्ज भूमि को अनारक्षित करने के लिए अधिकारों के अभिलेख को फिर से खोलने के लिए अधिकृत प्राधिकारी, उपायुक्त ने गोचर को अनारक्षित करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी लेने के लिए एक प्रस्ताव बनाया - राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में गैर-आरक्षण और वैकल्पिक भूमि को गोचर के रूप में चिह्नित करने की मंजूरी दी गई - अधिसूचना को एक अस्पताल के निर्माण के लिए गोचर को आरक्षित करने के उद्देश्य से गांव के अधिकारों के अंतिम अभिलेख को फिर से खोलने के आदेश के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। सार्वजनिक उद्देश्य और उस पर ग्राम प्रधान और सभी जमाबंदी रैयतों की सहमति थी - इस प्रकार, अधिसूचना वैध है - उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया है और अस्पताल को पूर्व-गोचर भूमि में कार्य करने की अनुमति दी गई है -संथालपरगना किरायेदारी (अनुपूरक) (प्रावधान) अधिनियम, 1949 - एस. 38(2).

संथाल परगना किरायेदारी (अनुपूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949:

धारा 2(1) - धारित का दायरा: अधिकारों के अभिलेख में गोचर के रूप में दर्ज भूमि का गैर-आरक्षण या पुनः वर्गीकरण अधिनियम के दायरे में नहीं है। 2(1) को गोचर को आरक्षित करने वाली अधिसूचना जारी करने की शक्ति के स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है।

धारा 38- चरागाह भूमि पर खेती नहीं की जाएगी - निषेध धारा. 38(1), गैर-चारागाह उपयोग के संबंध में -अभिनिर्धारित है कि यदि भूमि गोचर या ग्राम चरागाह भूमि के रूप में दर्ज नहीं है, या यदि भूमि अभिलेख में गोचर या ग्राम चरागाह भूमि के रूप में दिखाई जानी बंद हो जाती है -वैध कारणों के लिए अधिकार, वर्जित। 38(1) लागू नहीं होगा.

अभ्यास और प्रक्रिया - कानून के उस प्रावधान का उल्लेख न करना जो शक्ति का स्रोत है, या किसी गलत प्रावधान का उल्लेख करना -अभिनिर्धारित है कि यदि सरकार के पास कानून के उचित प्रावधान के तहत शक्ति है, तो इससे सरकारी आदेश अपने आप में अमान्य या अवैध नहीं हो जाएगा।

बंदोबस्त अधिकारी ने 4.40 एकड़ भूमि को गोचर, ग्राम चारागाह भूमि (प्लॉट संख्या 1061) के रूप में अधिसूचित किया। स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, ग्राम प्रधान और समुदाय की सहमति से उक्त गोचर को अस्पताल के निर्माण के लिए उपयुक्त के रूप में पहचाना गया था। पहले प्रतिवादी ने उक्त गोचर में अस्पताल के निर्माण पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की। इसके बाद, राज्य सरकार ने 31.05.2007 को एक अधिसूचना जारी कर 4.44 एकड़ गोचर भूमि को गैर-अधिसूचित और मुक्त कर दिया और 4.44 एकड़ गैरमजरूआ (सरकारी) खास भूमि (प्लॉट संख्या 62, 199 और 427) को गोचर भूमि घोषित कर दिया। रिट याचिका में, उच्च न्यायालय ने माना कि राज्य को निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं था मवेशियों को चराने के लिए गोचर के रूप में निर्धारित भूमि में अस्पताल; और अस्पताल के निर्माण के लिए गोचर को असंसूचित करने और जारी करने की अधिसूचना वैध नहीं थी। इसलिए, अपीलकर्ताओं ने तत्काल अपील दायर की।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहा:

अभिनिर्धारित : 1. संथाल परगना किरायेदारी (अनुपूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उप-धारा (1) राज्य सरकार को सुविधा के लिए संथाल परगना डिवीजन के किसी भी हिस्से को पुनर्गठित या परिसीमित करने में सक्षम बनाती है। राजस्व प्रशासन. निपटान विनियमों के तहत निपटान के अनुसरण में अधिकारों के अभिलेख में गोचर के रूप में दर्ज की गई कुछ भूमि को अनारक्षित करने का संथाल परगना के किसी भी हिस्से से 1949 अधिनियम या उसके किसी भी हिस्से की प्रयोज्यता को वापस लेने से कोई लेना-देना नहीं है। विभाजन अधिकारों के अभिलेख में गोचर के रूप में दर्ज भूमि का आरक्षण रद्द करना या पुनः वर्गीकरण करना 1949 अधिनियम के दायरे में नहीं है। इसलिए, 1949 अधिनियम की धारा 2(1) की कोई प्रासंगिकता नहीं है और इसे गोचर को अनारक्षित करने की अधिसूचना जारी करने की शक्ति के स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है। (पैरा 8] [699-ई-जी]

2.1 अपीलकर्ताओं का मामला यह नहीं है कि विचाराधीन भूमि को किसी राज्य अधिनियम या विनियमन के तहत अधिसूचना जारी करके आरक्षित घोषित किया गया था या गोचर के रूप में अधिसूचित किया गया था। अधिसूचना दिनांक 31.5.2007 नहीं थी किसी राज्य अधिनियम या विनियम के तहत शक्ति के प्रयोग में जारी किसी भी अधिसूचना को जोड़ने, उपांतरित करने, बदलने या रद्द करने के लिए जारी किया जाता है, इसलिए, राज्य सामान्य खंड अधिनियम की धारा 24 द्वारा मान्यता प्राप्त मौजूदा अधिसूचना को रद्द करने, उपांतरित करने या संशोधित करने की निहित शक्ति है। गोचर के रूप में दर्ज भूमि को अनारक्षित करने की अधिसूचना जारी करने की शक्ति का समर्थन करने में कोई सहायता नहीं। [पैरा 10] [699-जी-एच; 700-ए-बी]

2.2 उच्च न्यायालय ने गलती से मान लिया कि 1949 के अधिनियम में गैर आरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। गोचर को अन्य उपयोगों के लिए, राज्य सरकार के पास किसी भी परिस्थिति में गोचर के रूप में दर्ज किसी भी भूमि को आरक्षित करने की कोई शक्ति नहीं है और इसलिए, अधिसूचना दिनांक 31.05.2007 अमान्य थी; और एक बार जब कोई भूमि गोचर के रूप में दर्ज हो जाती है, तो ऐसी भूमि हमेशा के लिए गोचर ही रहनी चाहिए। 1949 अधिनियम की धारा 38(1) के तहत निपटान, गैर-चराई उद्देश्यों के लिए खेती के उपयोग पर प्रतिबंध केवल ग्राम चरागाह भूमि या गोचर के रूप में दर्ज भूमि पर लागू होता है। यदि भूमि को गोचर या ग्राम चरागाह भूमि के रूप में दर्ज नहीं किया गया है, या यदि भूमि को वैध कारणों से अधिकारो का अभिलेख में गोचर या ग्राम चरागाह भूमि के रूप में दिखाया जाना बंद हो जाता है, तो धारा 38(1) के तहत रोक लागू नहीं होगी। . किसी भूमि को गोचर (या गाँव की चरागाह भूमि) के रूप में दर्ज करने का तरीका, या गोचर (या गाँव की चरागाह भूमि) के रूप में दर्ज किसी भी भूमि को अनारक्षित करने का तरीका 1949 अधिनियम की धारा 38 द्वारा शासित या विनियमित नहीं है। यदि राज्य सरकार के पास किसी अन्य कानून के तहत गोचर (गांव की चरागाह भूमि) को आरक्षित या गैर-अधिसूचित करने की शक्ति है, और ऐसी शक्ति का वैध रूप से प्रयोग किया जाता है, तो भूमि गोचर नहीं रह जाएगी और धारा 38(1) के तहत निषेध हो जाएगा। गैर-चराई उपयोग के संबंध में 1949 अधिनियम लागू नहीं होगा। [पैरा 11] [700-बी-एफ]

2.3 गोचर (ग्राम चरागाह भूमि) को आरक्षित या गैर-अधिसूचित करने की राज्य सरकार की शक्ति के संबंध में उचित प्रावधान संथाल परगना निपटान विनियम, 1872 में पाया जाता है। यह विनियमन 25 से स्पष्ट है विनियम 24 के साथ पढ़ें कि हालांकि आम तौर पर एक बार अधिकारों का अभिलेख अंतिम हो जाने के बाद, इसे तब तक दोबारा नहीं खोला जाएगा जब तक कि कोई नया निपटान न हो जाए, अधिकारों के अभिलेख में प्रविष्टियों को फिर से खोला जा सकता है और पिछली मंजूरी के साथ

बदला जा सकता है राज्य सरकार। इसलिए, भले ही किसी भूमि को विनियमों के तहत निपटान के अनुसरण में गांव के अधिकारों के अभिलेख में गोचर के रूप में दर्ज किया गया हो, इसे किसी भी समय, बिना किसी प्रतीक्षा के, फिर से खोला और बदला जा सकता है। अगला समझौता, राज्य सरकार की पिछली मंजूरी के साथ। राज्य सरकार ने दिनांक 31.05.2007 की अधिसूचना द्वारा जो कुछ किया, वह उपायुक्त द्वारा मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव-अनुरोध के अनुसरण में गोचर को आरक्षित करना था ताकि यह अब गोचर के रूप में दर्ज न हो। (पैरा 12] [702-एफ-एच; 703-ए-बी]

2.4 उपायुक्त को उपयोग में परिवर्तन करके गोचर के रूप में दर्ज भूमि को डी-आरक्षित करने के उद्देश्य से अधिकारों के अभिलेख को फिर से खोलने का अधिकार है। उन्होंने बनाया गोचर (थाना नम्बर 24, प्लॉट नंबर 1061 में 4.40 एकड़) को अनारक्षित करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की मांग करने वाला एक प्रस्ताव और राज्य सरकार ने दिनांक 31.05.2007 की आक्षेपित अधिसूचना द्वारा एक आदेश पारित करके ऐसी मंजूरी दे दी। उसी अधिसूचना द्वारा, यह सुनिश्चित किया गया कि 1949 अधिनियम की धारा 38(2) को गोचर के रूप में वैकल्पिक भूमि निर्धारित करके पूरा किया गया था, जो कि 31.05.2007 की अधिसूचना पर उठाया जा सकता था विनियम 25(3) के संबंध में, राज्य सरकार को केवल आरक्षण रद्द करने की मंजूरी देनी थी और वह स्वयं भूमि आरक्षित नहीं कर सकती थी।इस तकनीकी आपत्ति का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसरण में उपायुक्त द्वारा गांव के अधिकारों के अभिलेख में उचित प्रविष्टि करके आरक्षण रद्द किया जाता है।इसलिए, अधिसूचना को ग्राम प्रधान की सहमति से अस्पताल के निर्माण के उद्देश्य से 4.40 एकड़ के गोचर को आरक्षित करने के उद्देश्य से गांव के अधिकारों के अंतिम अभिलेख को फिर से खोलने के आदेश के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। और जमाबंदी रैयतों को और साथ ही डिप्टी को निर्देश और निर्देश देते थे।आयुक्त को यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिनियम की धारा 38(2) के तहत आवश्यक गांव की कुल भूमि का 5% बनाने के लिए चरागाह के लिए उपायुक्त भूमि अलग रखी जाए।

पैरा 13] 703-सी-जी]

2.5 अधिसूचना निस्संदेह विनियम 24 और 25(3) का उल्लेख नहीं करती है। कानून के उस प्रावधान को संदर्भित करने की चूक जो शक्ति का स्रोत है, या किसी गलत प्रावधान का उल्लेख करना, अपने आप में सरकार के आदेश को अमान्य या अवैध नहीं बना देगा, यदि सरकार के पास कानून के उचित प्रावधान के तहत शक्ति है। गोचर के रूप में आरक्षित किसी भी सरकारी भूमि का आरक्षण रद्द करना केवल असाधारण परिस्थितियों में और हर गांव में गोचर के महत्व को ध्यान में रखते हुए वैध कारणों से

होना चाहिए। ग्रामीणों या अन्य लोगों द्वारा अतिक्रमण करने या अवैध रूप से गोचर को घरेलू भूखंडों या अन्य गैर-चराई उपयोग में बदलने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जाना चाहिए और दृढ़ता से

निपटा जाना चाहिए। किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता को गाँव में उपलब्ध बंजर भूमि या अप्रयुक्त भूमि से पूरा किया जाना चाहिए, न कि गोचर से। जब भी किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी गोचर को अनारक्षित करना अपरिहार्य या आवश्यक हो जाए, जो अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए, तो विनियम और 25, धारा 38(2) में विचार की गई प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। जब गोचर सरकारी भूमि नहीं है, बल्कि गांव की आम भूमि है जो सरकार के बजाय ग्रामीणों में निहित है, तो आरक्षण रद्द करने और आरक्षण रद्द से पहले ग्राम प्रधान और जमाबंदी रैयतों/ग्रामीणों की सहमति प्राप्त करनी होगी जिनके पास भूमि निहित है। गोचर का उपयोग. (पैरा 15] 704-ई-एच; 705-ए-डी]

2.6 वर्तमान मामले में, 4.40 एकड़ के गोचर को आरक्षित करने और अस्पताल के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करने की तत्काल आवश्यकता विवाद में नहीं है। ग्राम प्रधान और सभी जमाबंदी रैयतों ने अस्पताल के लिए भूमि के आरक्षण और उपयोग के लिए सहमति व्यक्त की है। भूमि को अस्पताल के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त पाया गया और उस भूमि पर अस्पताल का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। किसी भी देरी से ग्रामीणों/आदिवासियों की स्वास्थ्य देखभाल में बाधा आएगी परिस्थितियों में सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.05.2007 को बरकरार रखा जाता है। प्रतिवादी संख्या 6 और 9 गांव के अधिकारों के अभिलेख में आवश्यक संशोधन करेंगे, जिसमें प्लॉट संख्या 1061 को गैर-चराई सार्वजनिक उद्देश्य के रूप में दिखाया जाएगा और प्लॉट संख्या 62, 199 और 427 को गोचर के रूप में दर्ज किया जाएगा। (पैरा 16] [705-ई-एच]

2.7 प्लॉट संख्या 1061 में 4.40 एकड़ का गोचर अस्पताल के लिए चुना गया था क्योंकि यह मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है, इसकी आसान पहुंच को ध्यान में रखते हुए। कोई भी आंतरिक भूमि अस्पताल के निर्माण के लिए नुकसानदेह होगी लेकिन चरागाह भूमि के रूप में उपयोग करने के लिए हानिकारक नहीं होगा, इसलिए, प्लॉट नंबर 1061 में अस्पताल का पता लगाने के अधिकारियों के निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है [पैरा 17) [706-बी-सी]

3. पहले प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया प्लॉट नंबर 62, 199 और 427 पथरीली भूमि हैं और गोचर के रूप में घोषित/चिह्नित किए जाने के लिए चरागाह भूमि के लिए उपयुक्त नहीं हैं। लेकिन गोचर का उपयोग करने के हकदार ग्रामीण समुदाय द्वारा ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। यदि गोचर के रूप में अधिसूचित वैकल्पिक भूमि अनुपयुक्त होती, तो उन्होंने आपत्ति उठाई होती। जब ग्राम प्रधान और रैयत

गोचर के रूप में वैकल्पिक क्षेत्र के लिए सहमत हो गए हैं, तो ऐसा विवाद पहले प्रतिवादी के लिए उपलब्ध नहीं है। यह दलील दी गई कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, अस्पताल भवन के निर्माण में

झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम पाकुड़ जागरण 693 मंच एवं अन्य,

कुछ अनियमितताएं और धन का दुरुपयोग हुआ था, क्योंकि यह निविदाएं आमंत्रित किए बिना किया गया था, इसलिए पहले प्रतिवादी द्वारा उपयुक्त अधिकारियों के साथ शिकायत दर्ज करके उत्तेजित किया जा सकता है। (पैरा 18 और 19] 706-डी-एफ]

4. उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को खारिज कर दिया जाता है और जनहित याचिका खारिज कर दी जाती है, और अस्पताल को पूर्व-गोचर भूमि अर्थात् प्लॉट नंबर 1061 में कार्य करने की अनुमति दी जाती है। [पैरा 20] [706-जी-एच] सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2011 की सिविल अपील संख्या 436.

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के दिनांक 17.08.2007 के निर्णय एवं आदेश से, डब्ल्यू.पी. (पी.आई.एल.) क्रमांक 6779 वर्ष 2006 साथ सी.ए. संख्या 437 वर्ष 2011 की. अपीलकर्ताओं की ओर से अमरेंद्र शरण, अनिल के झा, संतोष कुमार, मनीष कुमार शरण।

उत्तरदाताओं के तरफ से अरूपबनर्जी, आर.के. प्रसाद, आर.के. श्रीवास्तव।

न्यायालय का निर्णय आर.वी.रवेन्द्रन, जे. द्वारा सुनाया गया, 1. अनुदत्त छुट्टी।

2. बंदोबस्त अधिकारी ने संथाल परगना बंदोबस्त विनियम, 1872 (संक्षेप में विनियम) की धारा 24 के तहत अधिकारों का एक अभिलेख अधिसूचित और प्रकाशित किया, जिसके तहत थाना नंबर 24, प्लॉट नंबर 1061, मौजा सोलागारिया, सर्कल में 4.40 एकड़ भूमि मापी गई। और जिला पाकुड़, झारखंड को उक्त गांव सोलागरिया के लिए गोचर (ग्राम चरागाह भूमि) के रूप में दर्ज किया गया था।

3. एक जनहित याचिका (डब्ल्यू.पी. संख्या 5332/2001) में, झारखंड उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और क्षेत्र के आदिवासी निवासियों के स्वास्थ्य के मानकों में

सुधार के लिए कुछ निर्देश जारी किए। इसके अनुसरण में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार और उपायुक्त, पाकुड़ ने 21.12.2005 को कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास, विशेष प्रमंडल, पाकुड़ को अस्पताल भवन के निर्माण के लिए अधिकृत किया। ग्राम प्रधान और ग्राम समुदाय (सभी) की सहमति से उक्त गोचर को अस्पताल के निर्माण के लिए उपायुक्त माना गया गांव के जमाबंदी रैयत), दिनांक 10.11.2006 के सहमति पत्र के माध्यम से।

4. जब निर्माण शुरू हुआ, तो पहले प्रतिवादी ने एक जनहित याचिका दायर की [डब्ल्यू.पी. (पी.आई.एल.) संख्या 6779/2006] झारखंड उच्च न्यायालय में अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया गया कि चरागाह

भूमि (गोचर) का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है और उक्त गोचर में अस्पताल के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई है।

5. 31.05.2007 को, राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर प्लॉट संख्या 1061 में उक्त 4.44 एकड़ गोचर को मुक्त कर दिया और इसके स्थान पर खाता संख्या 44, प्लॉट में 4.44 एकड़

गैरमजरुआ (सरकारी) खास भूमि की घोषणा की। संथाल परगना किरायेदारी (अनुपूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949 (संक्षेप में किरायेदारी अधिनियम) की धारा 38(2) के तहत गोचर के रूप में संख्या 62, 199 और 427। उक्त अधिसूचना के आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष दो अपीलों में अपीलकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि विचाराधीन भूमि गोचर नहीं रह गई है और इसलिए, अस्पताल के निर्माण के लिए उक्त भूमि का उपयोग करने में कोई बाधा नहीं है। उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.08.2007 के आक्षेपित आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका को इस प्रकार अनुमति दी: (i) राज्य को मवेशियों के चरने के लिए गोचर के रूप में निर्धारित भूमि में अस्पताल बनाने का कोई अधिकार नहीं था। (ii) अस्पताल के निर्माण के लिए स्वास्थ्य विभाग को सौंपने के लिए गोचर को असंसूचित करने और जारी करने की दिनांक 31.05.2007 की अधिसूचना, धारा 38(1) में निहित रोक को ध्यान में रखते हुए, कानून में वैध नहीं थी। किरायेदारी अधिनियम की धारा 67 और 69 के साथ।

6. उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को झारखंड राज्य और ग्राम प्रधान द्वारा विशेष अनुमति द्वारा इन दो अपीलों में चुनौती दी गई है। अपीलकर्ताओं की दलीलें संक्षेप में इस प्रकार हैं:

(i) किरायेदारी अधिनियम की धारा 38(2) के साथ पठित धारा 2(1) को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार के पास किसी भी भूमि को गोचर के रूप में उसकी स्थिति से डिनोटिफाई/रिलीज़/वापस लेने का अधिकार था, बशर्ते कि अन्य उपायुक्तगोचर के रूप में भूमि अलग रखी गई हो।

किरायेदारी अधिनियम की धारा 38(2) के तहत गांव के कुल क्षेत्रफल का 5% बनाने की आवश्यकता है।

(ii) चूंकि राज्य ने 1932 में किए गए समझौते में उक्त भूमि को मवेशियों के चरने के लिए गोचर के रूप में बसाया था, इसलिए उसके पास बिहार और उड़ीसा की धारा 24 को ध्यान में रखते हुए उक्त भूमि को गोचर के रूप में उसकी स्थिति से गैर-आरक्षित करने का निहित अधिकार था। सामान्य धारा अधिनियम (संक्षेप में 'सामान्य धारा अधिनियम') किरायेदारी अधिनियम की धारा 38(2) के अनुपालन के अधीन है।

(iii) उक्त गोचर में केवल सोलागरिया गांव के रैयतों को ही अपने मवेशियों को चराने का अधिकार है। ग्राम प्रधान और संपूर्ण ग्राम समुदाय (सभी जमाबंदी रैयत) ने अस्पताल के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के लिए 10.11.2006 को लिखित रूप में अपनी सहमति दी है। किसी अन्य को उक्त

भूमि का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं था और इसलिए, पहला प्रतिवादी (रिटयाचिकाकर्ता) पीड़ित व्यक्ति नहीं था।

(iv) एक विशाल अस्पताल भवन के निर्माण के लिए पहले ही बड़ी रकम का निवेश किया जा चुका था। यदि इस स्तर पर उक्त भूमि को गोचर के रूप में घोषित या पुष्टि या बहाल किया जाता है, तो इससे

सरकार को अपूरणीय वित्तीय क्षति होगी क्योंकि इससे हाल ही में निर्मित विशाल संरचना को ध्वस्त करना होगा और किसी अन्य स्थान पर अस्पताल के लिए एक और भवन का निर्माण करना होगा। जगह। इस तरह की कवायद से उन निवासियों/आदिवासियों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में भी देरी होगी, जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है।

(v) किरायेदारी अधिनियम की धारा 38(2) के तहत गोचर के रूप में उसी गांव में 4.44 एकड़ के वैकल्पिक क्षेत्र की घोषणा को ध्यान में रखते हुए, गांव के गोचर में कोई कमी नहीं हुई और न ही किरायेदारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

(vi) कई अन्य मामलों में, झारखंड उच्च न्यायालय ने गोचर की अधिसूचना को स्वीकार और मान्यता दी थी अन्य प्रयोजनों के लिए इसके उपयोग को सक्षम करने के लिए कहा गया था और इसलिए सरकार इस आधार पर आगे बढ़ी कि अधिसूचना रद्द करने की ऐसी प्रक्रिया स्वीकार्य थी।

7. दूसरी ओर, पहले प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया। इसमें तर्क दिया गया कि किरायेदारी अधिनियम की धारा 38(1) में निहित रोक को ध्यान में रखते हुए, गोचर के रूप में निर्धारित और बसाई गई भूमि का उपयोग किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य उद्देश्य (अस्पताल के रूप में उपयोग सहित) के लिए नहीं किया जा सकता है। कुछ सरकारी भूमि को गोचर के रूप में अलग करने के उद्देश्य को उजागर करने के लिए उन्होंने 1935 में श्री जे.एफ. गैंटज़र द्वारा प्रस्तुत "संथाल परगना जिले में संशोधन सर्वेक्षण और निपटान संचालन" पर अंतिम रिपोर्ट के निम्नलिखित अंश पर भरोसा किया (पैरा 63 के अनुसार):

"गोचर और उसके उद्देश्य

63. गोचर या चारागाह की मुख्यतः दो वस्तुएँ हैं:

(ए) यह जमाबंदी रैयतों (गरीब आदिवासी कृषक) को अपने मवेशियों को मुफ्त में और बिना किसी पैसे के चराने का अधिकार प्रदान करता है। ये आदिवासी लोग बहुत गरीब और अशिक्षित हैं, और वे अपने घरेलू पशुओं को अच्छा स्वास्थ्य और पोषक आहार प्रदान करने के लिए महंगा चारा और चारा खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। चरागाह भूमि इन गरीब लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, और यह उनके लिए आजीविका का एक बहुत बड़ा स्रोत और साधन है।

(बी) चरागाह भूमि हमारी पारिस्थितिकी का एक हिस्सा है, और जनजातियों के घरेलू जानवरों, उनके प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक घर और प्राकृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक वनस्पति, जहां वे भोजन (घास) खाते हैं, प्रदान करके हमारे पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं। पानी पियें, शुद्ध हवा, धूप लें, आराम करें, घूमें और आज़ादी का आनंद लें, फार्म-हाउस की बेड़ियों से आज़ादी, रस्सी की बेड़ियों से आज़ादी, और हर लोहे की छड़ से आज़ादी। उनके आवास आवश्यक हैं, और उन्हें संरक्षित

किया जाना आवश्यक है, अन्यथा ऐसा होता हमारे पारिस्थितिक तंत्र को असंतुलित करने वाले घरेलू पशुओं के प्रति क्रूरता, यातना, शोषण और अपमानजनक व्यवहार, अपराध है।"

क्या किरायेदारी अधिनियम की धारा 2(1) का कोई असर है?

8. अपीलकर्ताओं ने धारा 2(1) पर भरोसा किया दिनांक 31.05.2007 की अधिसूचना की वैधता का समर्थन करने के लिए शक्ति के स्रोत के रूप में किरायेदारी अधिनियम और उक्त धारा नीचे दी गई है:

"2. अधिनियम की स्थानीय सीमा और किसी भी क्षेत्र से अधिनियम की वापसी के प्रभाव को अलग करने की शक्ति।-(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, संथाल परगना के किसी भी हिस्से से इस अधिनियम या उसके किसी हिस्से को वापस ले सकती है। प्रभाग और इसी तरह इस अधिनियम, या इसके किसी भी हिस्से को उस क्षेत्र तक विस्तारित कर सकता है जहां से इसे वापस ले लिया गया है।"

किरायेदारी अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) राज्य सरकार को सुविधाजनक राजस्व प्रशासन के लिए संथाल परगना डिवीजन के किसी भी हिस्से को पुनर्गठित या परिसीमित करने में सक्षम बनाती है। बंदोबस्त विनियमों के तहत निपटान के अनुसरण में अधिकारों के अभिलेख में गोचर के रूप में दर्ज की गई कुछ भूमि को आरक्षित करने का संथाल के किसी भी हिस्से से किरायेदारी अधिनियम या उसके किसी हिस्से की प्रयोज्यता को वापस लेने से कोई लेना-देना नहीं है। परगना प्रभाग. अधिकारों के अभिलेख में गोचर के रूप में दर्ज भूमि का आरक्षण रद्द करना या पुनः वर्गीकृत करना किरायेदारी अधिनियम के दायरे में नहीं है। इसलिए, हमारा विचार है कि किरायेदारी अधिनियम की धारा 2(1) की कोई प्रासंगिकता नहीं है और इसे गोचर को अनारक्षित करने की अधिसूचना जारी करने की शक्ति के स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है।

क्या दिनांक 31.05.2007 की अधिसूचना वैध है?

9. मुख्य मुद्दा यह है कि क्या गोचर का उपयोग करते समय राज्य सरकार द्वारा किरायेदारी अधिनियम की धारा 38(1) का उल्लंघन किया गया था? गोचर के रूप में इसकी स्थिति से मुक्त करने के बाद, एक अस्पताल के निर्माण के लिए। किरायेदारी अधिनियम की धारा 38 इस प्रकार है

"38. चरागाह भूमि पर खेती नहीं की जाएगी। (1) गांव की चरागाह भूमि या गोचर के रूप में दर्ज किसी भी भूमि को बसाया नहीं जाएगा या खेती के तहत नहीं लाया जाएगा या किसी के द्वारा चराई के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(2) यदि चारागाह या गोचर के रूप में दर्ज क्षेत्र गांव के कुल क्षेत्रफल के पांच प्रतिशत से कम है, तो उपायुक्त, जमींदार, ग्राम प्रधान या मुलरैयत और रैयतों के परामर्श से, उपयुक्त क्षेत्र अलग कर सकता है। चरागाह के लिए गाँव की बंजर भूमि।

ऐसी भूमि जब अलग कर दी जाएगी तो वह उप-धारा (1) के प्रावधान द्वारा शासित होगी।" धारा 38 की उप-धारा (1) गांव की चरागाह भूमि या गोचर के रूप में दर्ज किसी भी भूमि को बसाने या खेती के तहत लाने पर रोक लगाती है। या (i) किसी के द्वारा चराई के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है।

10. अपीलकर्ता राज्य सामान्य धारा अधिनियम की धारा 24 (केंद्रीय अधिनियम की धारा 21 के अनुरूप) के संदर्भ में दिनांक 31.05.2007 की अधिसूचना का समर्थन करना चाहते हैं, जो यह प्रदान करती है कि किसी भी राज्य अधिनियम या विनियमन द्वारा, अधिसूचना जारी करने की शक्ति है , आदेश, नियम या उप-कानून प्रदान किए जाते हैं, तो उस शक्ति में समान तरीके से प्रयोग की जाने वाली शक्ति शामिल होती है और समान मंजूरी और शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, किसी अधिसूचना, आदेश, नियम या उप-नियम में जोड़ने, संशोधन करने, बदलने या रद्द करने की शक्ति शामिल होती है। कानून इस प्रकार जारी किए गए। सामान्य खंड अधिनियम के उक्त प्रावधान से निहित शक्ति केवल राज्य अधिनियम या विनियमन (जो विशेष रूप से जोड़ने, संशोधित करने की शक्ति प्रदान नहीं करती है) के प्रयोग में जारी अधिसूचना को जोड़ने, संशोधित करने, बदलने या रद्द करने के लिए उपलब्ध होगी। ऐसी अधिसूचना को बदलें या रद्द करें)। अपीलकर्ताओं का मामला यह नहीं है कि विचाराधीन भूमि को किसी राज्य अधिनियम या विनियमन के तहत अधिसूचना जारी करके आरक्षित या गोचर के रूप में अधिसूचित किया गया था। अधिसूचना दिनांक 31.05.2007 को जोड़ने, संशोधित करने, परिवर्तन करने हेतु जारी नहीं की गई थी किसी राज्य अधिनियम या विनियम के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी की गई किसी भी अधिसूचना को रद्द करना। इसलिए, राज्य सामान्य धारा अधिनियम की धारा 24 द्वारा मान्यता प्राप्त मौजूदा अधिसूचना को रद्द करने, बदलने या संशोधित करने की निहित शक्ति, गोचर के रूप में दर्ज भूमि को अनारक्षित करने की अधिसूचना जारी करने की शक्ति का समर्थन करने में कोई सहायता नहीं करती है।

11. उच्च न्यायालय ने गलती से मान लिया है कि चूंकि किरायेदारी अधिनियम में अन्य उपयोगों के लिए गोचर को अनारक्षित करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए राज्य सरकार के पास किसी भी परिस्थिति में गोचर के रूप में दर्ज किसी भी भूमि को अनारक्षित करने की कोई शक्ति नहीं है और इसलिए अधिसूचना दिनांक 31.05.2007 अमान्य था. उच्च न्यायालय ने यह भी गलती से मान लिया है कि एक बार जब कोई भूमि गोचर के रूप में दर्ज हो जाती है, तो ऐसी भूमि हमेशा के लिए गोचर ही रहनी चाहिए। किरायेदारी अधिनियम की धारा 38(1) के तहत निपटान, खेती या गैर-चराई उद्देश्यों के लिए उपयोग के संबंध में निषेध केवल ग्राम चरागाह भूमि या गोचर के रूप में दर्ज भूमि पर लागू होता है। यदि भूमि को गोचर या ग्राम चरागाह भूमि के रूप में दर्ज नहीं किया गया है, या यदि वैध कारणों

से अभिलेख -ऑफ-राइट्स में भूमि को गोचर या ग्राम चरागाह के रूप में दिखाया जाना बंद हो जाता है, तो धारा 38(1) के तज़हत रोक लागू नहीं होगी . किसी भूमि को गोचर (या ग्राम चरागाह भूमि) के रूप में दर्ज करने का तरीका, या गोचर (या अवैध चरागाह भूमि) के रूप में दर्ज किसी भी भूमि को अनारक्षित करने का तरीका किरायेदारी अधिनियम की धारा 38 द्वारा शासित या विनियमित नहीं है।यदि राज्य सरकार के पास किसी अन्य कानून के तहत गोचर (ग्राम चरागाह भूमि) को अनारक्षित या अनारक्षित करने की शक्ति है, और ऐसी शक्ति का वैध रूप से प्रयोग किया जाता है, तो भूमि गोचर नहीं रह जाएगी और किरायेदारी अधिनियम की धारा 38(1) के तहत निषेध हो जाएगा। गैर चराई के संबंध में उपयोग लागू नहीं होगा.

12. आइए अब विचार करें कि क्या राज्य सरकार के पास गोचर (ग्राम चरागाह भूमि) को आरक्षित या गैर-अधिसूचित करने की शक्ति है। हमने पाया है कि इसके लिए उचित प्रावधान विनियमों में पाया गया है। विनियमों की प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि यह संथाल परगना नामक क्षेत्र की शांति और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था (जैसा कि किरायेदारी अधिनियम की प्रस्तावना से विपरीत है जो दर्शाता है कि अधिनियम संथाल परगना में मकान मालिकों और किरायेदारों से संबंधित कुछ कानूनों में संशोधन और पूरक करने के लिए बनाया था)।

12.1 विनियम 10 राज्य सरकार को उन अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार देता है जिनके द्वारा समझौता किया जाना है और भूमि में अधिकारों की जांच और मुकदमों की सुनवाई में ऐसे अधिकारियों की प्रक्रिया के लिए और आम तौर पर ऐसे अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाते हैं। .

12.2) विनियम 13 में प्रावधान है कि निपटान अधिकारी द्वारा तैयार किए जाने वाले अधिकारों का अभिलेख एक गांव में कब्जाधारियों या मालिकों के प्रत्येक वर्ग द्वारा रखे गए प्रत्येक अधिकार और हित की प्रकृति और घटनाओं को दिखाएगा और यदि आवश्यक हो, तो प्रत्येक व्यक्तिगत मालिक,

कब्जाधारी के या किसी गांव का मुखिया. विनियम 14 के दूसरे भाग में यह प्रावधान है कि निपटान अधिकारी किसी गांव की भूमि, जिसका वह अधिकारों का अभिलेख तैयार कर रहा है, के सभी अधिकारों या दावों की जांच, निपटारा और अभिलेख करेगा, भले ही ऐसे दावे या अधिकार अलग-अलग हों। इच्छुक पार्टियों द्वारा आग्रह नहीं किया जाएगा।

12.3) विनियम 24 प्रकाशन या अधिकारों के अभिलेख से संबंधित है और इसे नीचे दिया गया है: "अधिकारों का प्रकाशन या अभिलेख - निपटान के बाद निपटान अधिकारी किसी भी गांव के लिए अधिकारों का अभिलेख बनाएगा, वह ऐसे अभिलेख की सामग्री को गांव में स्पष्ट रूप से पोस्ट करके इच्छुक व्यक्तियों को सूचित और प्रकाशित करेगा और अन्यथा ऐसे तरीके से जो सुविधाजनक हो।

झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम पाकुड़ जागरण 701

मंच एवं अन्य [आर.वी. रवीन्द्रन, जे.]

इस तरह के अभिलेख के खिलाफ आपत्तियां - इसके बाद किसी भी इच्छुक व्यक्ति को ऐसे अभिलेख -ऑफ-राइट्स के प्रकाशन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर (सेटलमेंट कोर्ट में) किसी भी भाग पर कोई भी आपत्ति लाने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे अभिलेख का; और इस प्रकार की गई आपत्ति की जांच की जाएगी और अदालत में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी के अधीन विवेकपूर्ण निर्णय द्वारा उसका निपटारा किया जाएगा।"

12.4) विनियम 25 यह बताता है कि किसी भी गांव के अधिकारों का अभिलेख कब और कैसे अंतिम होता है। उसके उप-भाग (1) और (3) जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, नीचे दिए गए हैं

"25. छह महीने के प्रकाशन के बाद अभिलेख अंतिम होगा: (1) अभिलेख के प्रकाशन की तारीख से छह महीने की अवधि के बाद किसी भी गांव के अधिकारों के संबंध में, ऐसे अभिलेख धारा 25-ए में उल्लिखित अधिकारों के अलावा, उनमें दर्ज अधिकारों और रीति-रिवाजों का निर्णायक सबूत होंगे, सिवाय इसके कि ऐसे अभिलेख में प्रविष्टियों के संबंध में, जिसके संबंध में इच्छुक पार्टियों द्वारा आपत्तियां अभी भी हो सकती हैं।मूल या अपीलीय न्यायालयों में लंबित हो, या अभी भी अपील के लिए खुला हो।

XXXXXXXX

(3) जब अधिकारों का अभिलेख अंतिम हो गया है, या अधिकारों के अभिलेख में किसी भी प्रविष्टि पर कोई आपत्ति निपटान न्यायालयों में अंतिम रूप से निपटा दी गई है, और जब सभी अंतिम निर्णय और आदेश, जिनमें शामिल हो सकते हैं उप-धारा (2) में दिए गए अनुसार संशोधन पर पारित किया गया है, उसमें सही ढंग से शामिल किया गया है, ऐसे अभिलेख को तब तक दोबारा नहीं खोला जाएगा, जब तक कि एक नया निपटान नहीं किया जाता है या दरों और किराया-रोल की एक नई तालिका तैयार नहीं की जाती है। राज्य सरकार की पिछली मंजूरी।"

12.5) विनियम 24 के साथ पढ़े गए विनियम 25 से यह स्पष्ट है कि हालांकि आम तौर पर एक बार अधिकारों का अभिलेख अंतिम हो जाने के बाद, इसे तब तक दोबारा नहीं खोला जाएगा जब तक कि कोई नया समझौता न हो जाए, इसमें प्रविष्टियां अधिकारों के अभिलेख को राज्य सरकार की पिछली मंजूरी के साथ फिर से खोला और बदला जा सकता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि भले ही किसी समझौते के तहत किसी भूमि को गांव के अधिकारों के अभिलेख में गोचर के रूप में दर्ज किया गया हो। विनियमों के तहत, इसे राज्य सरकार की पिछली मंजूरी के साथ, अगले निपटान की प्रतीक्षा किए बिना, किसी भी समय फिर से खोला और बदला जा सकता है। इसलिए विवाद पहले प्रतिवादी का कहना है कि एक बार गोचर, हमेशा एक गोचर, और किसी के पास किसी भी समय कोई शक्ति नहीं है, इसकी

स्थिति को गोचर के रूप में बदलने के लिए योग्यता के बिना है। राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 31.05.2007 द्वारा जो कुछ किया वह उपायुक्त द्वारा मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव/अनुरोध के अनुसरण में गोचर को अनारक्षित करना था ताकि यह अब गोचर (या गांव की चरागाह भूमि) के रूप में दर्ज न हो।

13. गोचर के रूप में दर्ज भूमि को इसके उपयोग में परिवर्तन करके अनारक्षित करने के उद्देश्य से अधिकारों के अभिलेख को फिर से खोलने का अधिकार उपायुक्त को है। उन्होंने विचाराधीन गोचर (ठाणे नंबर 24, प्लॉट नंबर 1061, सोलागोरिया में 4.40 एकड़) को आरक्षित करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव रखा और राज्य सरकार ने दिनांक 31.05.2007 की अधिसूचना द्वारा ऐसी अनुमति दे दी। आरक्षण रद्द करने का आदेश पारित कर अनुमोदन। उसी अधिसूचना द्वारा, यह सुनिश्चित किया गया कि वैकल्पिक भूमि को गोचा के रूप में चिह्नित करके किरायेदारी अधिनियम की धारा 38(2) को भी पूरा किया गया था।दिनांक 31.05.2007 की अधिसूचना पर उठाई जा सकने वाली एकमात्र संभावित आपत्ति यह है कि विनियमन25(3) के संबंध में, राज्य सरकार को केवल अनारक्षितकरण को मंजूरी देनी थी और वह स्वयं भूमि को अनारक्षित नहीं कर सकती थी। इस तकनीकी आपत्ति का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसरण में उपायुक्त द्वारा गांव के अधिकारों के अभिलेख में उचित प्रविष्टि करके आरक्षण रद्द किया जाता है। इसलिए, विचाराधीन अधिसूचना को ग्राम प्रधान की सहमति से अस्पताल के निर्माण के उद्देश्य से 4.40 एकड़ के गोचर को अनारक्षित करने के उद्देश्य से सोलगरिया गांव के अधिकारों के अंतिम अभिलेख को फिर से खोलने के आदेश के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। जमाबंदी रैयतों और साथ ही उपायुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 38(2) के तहत आवश्यक गांव की कुल भूमि का 5% बनाने के लिए उपयुक्त उपयुक्त भूमि को चरागाह के लिए अलग रखा जाए।

14. अधिसूचना में निस्संदेह विनियमों का उल्लेख नहीं है. 24 और 25(3) लेकिन अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि कानून के उस प्रावधान का जिक्र न करना जो शक्ति का स्रोत है, या किसी गलत प्रावधान का जिक्र करना अपने आप में सरकार के किसी आदेश को अमान्य या अवैध नहीं बना देगा, अगर सरकार के पास शक्ति है कानून के उचित प्रावधान के तहत - के.के. द्वारा पमार बनाम गुजरात उच्च न्यायालय - 2006 (5) एससीसी 789 और केदार शशिकांतदेशपांडे बनाम भोर नगर परिषद (सीए संख्या 10452-457/2010 दिनांक 10.12.2010)।

15. हालाँकि, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि गोचर के रूप में आरक्षित किसी भी सरकारी भूमि का आरक्षण केवल असाधारण परिस्थितियों में और हर गाँव में गोचर के महत्व को ध्यान में रखते हुए

वैध कारणों से होना चाहिए। ग्रामीणों या अन्य लोगों द्वारा अतिक्रमण करने या अवैध रूप से गोचर को घर के भूखंडों या अन्य गैर-चराई वाले क्षेत्रों में बदलने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जाना चाहिए और सख्ती से निपटा जाना चाहिए। किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता को गाँव में उपलब्ध बंजर भूमि या अप्रयुक्त भूमि से पूरा किया जाना चाहिए, न कि गोचर से। जब भी किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी गोचर को अनारक्षित करना अपरिहार्य या आवश्यक हो (जैसा कि ऊपर कहा गया है अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए), विनियम 24 और 25 और धारा 38(2) में विचार की गई निम्नलिखित प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए:

(ए) क्षेत्राधिकार वाले उपायुक्त एक नोट/रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें यह कारण बताया जाएगा कि गोचर को किसी गैर-चरागाह सार्वजनिक उद्देश्य के लिए क्यों पहचाना गया है और ऐसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अन्य उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता को अभिलेख करेगा। उपायुक्त आरक्षण रद्द करने के उक्त प्रस्ताव को पूर्व मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजेंगे।

(बी) राज्य सरकार को गोचर के उद्देश्य और गांव के न्यूनतम पांच प्रतिशत क्षेत्र को गोचर के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मंजूरी के अनुरोध पर विचार करना चाहिए और मंजूरी देने से पहले ग्रामीणों से सुझाव/आपत्तियां मांगनी चाहिए।

(सी) जब भी किसी गांव में गोचर को अनारक्षित किया जाता है और गैर-चराई उपयोग के लिए स्थानांतरित किया जाता है, तो उसी समय या कम से कम उसके तुरंत बाद राज्य को गोचर के रूप में वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करानी चाहिए, इस तरीके से और एक हद तक कि गोचर बना रहे किरायेदारी अधिनियम की धारा 38(2) के तहत प्रावधानित गांव की कुल सीमा का 5% से कम नहीं।

(डी) जब गोचर सरकारी भूमि नहीं है, बल्कि गांव की आम भूमि है जो सरकार के बजाय ग्रामीणों में निहित है, तो डी-डी से पहले ग्राम प्रधान और जमाबंदी रैयतों/ग्रामीणों की सहमति प्राप्त करनी होगी जिनके पास भूमि निहित है। गोचर के उपयोग का आरक्षण और विचलन।

यदि राज्य सरकार मंजूरी देती है, तो उपायुक्त को अधिकारों के अभिलेख में उचित प्रविष्टियां करके और जिस उद्देश्य के लिए यह किया गया था, उसके लिए गोचर को पुनः आरक्षित करने का आदेश देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अनारक्षित।

16. इस मामले में 4.40 एकड़ के गोचर को अनारक्षित करने और अस्पताल के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करने की तत्काल आवश्यकता विवाद में नहीं है। ग्राम प्रधान और सभी जमाबंदी रैयतों ने संबंधित भूमि को अस्पताल के लिए अनारक्षित करने और उपयोग करने पर सहमति व्यक्त

की है। विचाराधीन भूमि अस्पताल के आवास के लिए सबसे उपयुक्त पाई गई।वैकल्पिक भूमि को तुरंत गोचर के रूप में अधिसूचित किया गया। जमीन पर अस्पताल का निर्माण हो चुका है. किसी भी देरी से ग्रामीणों/आदिवासियों की स्वास्थ्य देखभाल में बाधा आएगी। इन परिस्थितियों में सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.05.2007 को बरकरार रखा जाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उत्तरदाता 6 और 9 गांव के अधिकारों के अभिलेख में आवश्यक संशोधन करेंगे, जिसमें प्लॉट नंबर 1061 को गैर-चराई सार्वजनिक उद्देश्य के रूप में दिखाया जाएगा और प्लॉट नंबर 62, 199 और 427 को गोचर के रूप में दर्ज किया जाएगा।

प्रथम प्रतिवादी की अन्य आपत्तियां

17. प्रथम प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अस्पताल को प्लॉट नंबर 62, 199 और 427 में 4.44 एकड़ जमीन पर भी बनाया जा सकता था, जिसे अब वैकल्पिक गोचर घोषित किया गया है। प्लॉट नंबर 1061 में 4.40 एकड़ का गोचर अस्पताल के लिए चुना गया था, क्योंकि यह मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी आसान पहुंच को ध्यान में रखते हुए। कोई भी आंतरिक भूमि अस्पताल के निर्माण के लिए हानिकारक होगी, लेकिन चारागाह के रूप में उपयोग करने के लिए हानिकारक नहीं होगी। इसलिए प्लॉट नंबर 1061 में अस्पताल स्थापित करने के अधिकारियों के निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

18. पहले प्रतिवादी ने आगे प्रस्तुत किया कि प्लॉट नंबर 62, 199 और 427 चट्टानी भूमि हैं और गोचर के रूप में घोषित किए जाने के लिए चरागाह भूमि के लिए उपयुक्त नहीं हैं। लेकिन गोचर का

उपयोग करने के हकदार ग्रामीण समुदाय द्वारा ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। यदि गोचर के रूप में अधिसूचित वैकल्पिक भूमि अनुपयुक्त होती, तो उन्होंने आपत्ति उठाई होती। जब ग्राम प्रधान और रैयत गोचर के रूप में वैकल्पिक क्षेत्र के लिए सहमत हो गए हैं, तो ऐसा विवाद पहले प्रतिवादी के लिए उपलब्ध नहीं है।

19. पहले प्रतिवादी ने अंततः प्रस्तुत किया कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, अस्पताल भवन के निर्माण में कुछ अनियमितताएं और धन का दुरुपयोग हुआ था, क्योंकि यह निविदाएं आमंत्रित किए बिना किया गया था। वह एक अलग मुद्दा है.यदि निर्माण के संबंध में कोई अनियमितता है, तो पहला प्रतिवादी उपयुक्त अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करके मुद्दे को उठा सकता है।

20. इसलिए हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को रद्द करते

हैं और जनहित याचिका (डब्ल्यू.पी. (पी.आई.एल) संख्या 6779/2006) को खारिज करते हैं और अस्पताल को पूर्व-गोचर भूमि अर्थात् प्लॉट संख्या 1061 में कार्य करने की अनुमति देते हैं। ,

मोहज़ा सोलागारिया।

एन.जे. अपील स्वीकृत की गई .

<u>यह अनुवाद किरण शंकर मिश्रा, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।</u>